संख्या- 10/2015/1476/43-1-2014-33(2)/1990

प्रेषक,

भवेश रंजन,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासनिक सुधार निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2015

विषय- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2011 के क्रम में प्रशासनिक सुधार निदेशालय के टंकक के पद पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-59(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये सामान्य निर्णय के क्रम में प्रशासनिक सुधार निदेशालय के टंकक के एकल पद पर वर्तमान में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता में कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सासेसाइटी द्वारा प्रदत्त 'सी0सी0सी0' प्रमाण अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र की अर्हता का समावेश करते हुए इसका पदनाम कनिष्ठ सहायक रखते हुए वर्तमान में अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900 के स्थान पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 2000 दिनांक 18 मार्च, 2011 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्तानुसार कनिष्ठ सहायक के उच्चीकृत ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

- - - - 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-195/दस-2015, दिनांक 25-03-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

पृ0सं0- 10/2015/1476(1)/43-1-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2, उ0प्र0शासन।
3- अनुभाग अधिकारी लेखा, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन (दो प्रतियों में)
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- सम्बन्धित कार्मिक।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।